उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

संख्या- 21/2018/261/71-1-2018-जी-195/2015

लखनऊ: दिनांक : 26 फरवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

राजकीय मेडिकल कालेज, झाँसी, कन्नौज एवं बाँदा में विभिन्न विशिष्टताओं में रिक्त चिकित्सा शिक्षको के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति किये जाने के संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-एम0ई0-2/2018/5217, दिनांक 19-01-2018 द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय संलग्न सूची में उल्लिखित विवरण के अनुसार कुल 04 अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या-4661/71-1-2018-जी0-63/2008, दिनांक 15-12-2008, शासनादेश संख्या-909/71-1-2013-जी0-11/2011, दिनांक 11-04-2013 तथा शासनादेश संख्या-सी0एम0-03/71-1-2014-जी0-63/2008, दिनांक 22-01-2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संविदा के आधार पर 01 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने जो भी पहले घटित हो, तक के लिए इस प्रतिबन्ध सहित नियुक्त/ तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है कि प्रश्नगत पद अभी भी रिक्त है।

2- यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संविदा पर नियुक्त होने वाले चिकित्सा शिक्षक:-

1- ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगे।
2- प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में प्राइवेट प्रैक्टिस करने के स्थान को निर्दिष्ट करेंगे
3- मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।
4- प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगें।
5- निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ के हकदार न होंगे।
6- स्थानान्तरित नहीं किये जायेंगे।
7- संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन संबंधी सुविधाओं के हकदार नहीं होगे, न ही ऐसी कालावधि के लिए बोनस पायेंगे।

3- उक्त चिकित्सा शिक्षकों को शासनादेश दिनांक 22-01-2015 में प्राविधानित नियत वेतन देय होगा।

4- संविदा पर तैनात किये गये अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन, स्वास्थ्य परीक्षण, उनके शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधी प्रमाणपत्रों/अर्हता के दस्तावेजों का सत्यापन महानिदेशक,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ/संबंधित प्रधानाचार्य अपने स्तर से कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

शमीम अहमद खान
विशेष सचिव।

संख्या- 21/2018/261/ (1) 71-1-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, झाँसी, कन्नौज, बाँदा ।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, झाँसी, कन्नौज, बाँदा ।
5- कोषाधिकारी, झाँसी, कन्नौज, बाँदा ।
6- संबंधित अभ्यर्थी/चिकित्सक।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्यालय ज्ञाप संख्या- 26/2018 /261/71-1-2018-जी-195/2015,

दिनांक 26 फरवरी, 2018 का संलग्नक:-

क्र0सं0	विशिष्टता का नाम एवं पदनाम	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	श्रेणी	नियुक्ति हेतु प्रस्तावित मेडिकल कालेज, का नाम
1.	फिजियोलॉजी (प्रवक्ता)	डा0 प्रियंका गर्ग, पुत्री श्री विष्णु भगवान गर्ग, निवासी-सी0-156, रंजीत नगर, भरतपुर, राजस्थान,	सामान्य	मेडिकल कालेज, आगरा
2.	बायोकेमिस्ट्री (प्रवक्ता)	डा0 ममता गुप्ता,पुत्री श्री कैलाश चन्द्र गुप्ता,पता-200, गंगानगर हाउसिंग सोसाइटी निकट केसा कालोनी, नवाबगंज ,कानपुर।	सामान्य	मेडिकल कालेज, झॉसी
3.	आर्थोपेडिक्स (प्रवक्ता)	डा0 गौरव कुमार पुत्र डा0 डी0के0 गुप्ता, पता-एच-7 वीरांगनानगर, कानपुर रोड, मेडिकल कालेज कालेज के पास झॉसी।	सामान्य	मेडिकल कालेज, झॉसी
4.	पैथालॉजी (प्रवक्ता)	डा0 अकांक्षा मिश्रा पुत्री डा0 एस0पी0 मिश्रा, पता-मयूर बिहार कालोनी, सेक्टर- बी0, मेडिकल कालेजके पास, झॉसी।	सामान्य	मेडिकल कालेज, झॉसी

(अनिल कुमार)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।